[2018] 9 एस. सी. आर. 1024

भारत का राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण

वी.

ग्वालियर झाँसी एक्सप्रेसवे लिमिटेड

(2018 की सिविल अपील संख्या 3288)

13 जुलाई, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

अपीलार्थी और अपीलार्थी के बीच निविदा समझौता

राष्ट्रीय राजमार्ग No.75 के मौजूदा दो-ला भाग को चार लेन तक चौड़ा करने के लिए प्रत्यर्थी-प्रत्यर्थी की ओर से कथित उल्लंघन-मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन-अपीलार्थी ने यू / न्यायाधिकरण के समक्ष 1996 के अधिनियम की धारा 17 ने बड़े पैमाने पर जनता को हुए नुकसान को देखते हुए परियोजना के शेष कार्य को पूरा करने की अनुमति मांगी-प्रतिवादी ने भी यू/एस के तहत आवेदन दायर किया। 17 मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने आम लोगों द्वारा आवेदनों का निपटारा किया

अंतरिम आदेश डीटीडी। 23 जुलाई 2016-अपीलार्थी ने शेष कार्य के लिए निविदा जारी की निविदा दस्तावेजों के अनुरूप, तकनीकी और वित्तीय बोलियां खोली गईं-प्रतिवादी ने प्रस्ताव रखा

न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन यू / एस. 17, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने जोखिम और लागत पर शेष कार्य को पूरा करने के लिए न्यायाधिकरण की अनुमति की मांग करना। न्यायाधिकरण ने आवेदन की अनुमति दी-अपीलार्थी द्वारा पहले दायर की गई अपील

उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया-अपीलार्थी की याचिका कि प्रतिवादी को बोली प्रक्रिया में भाग लिए बिना पहले इनकार के अधिकार (आरओएफआर) का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः

प्रत्यर्थी का एल-1 की बोली का मिलान करने या आरओएफआर का प्रयोग करने का अधिकार केवल तभी लागू होगा जब प्रत्यर्थी को इच्छुक पक्षों से निविदा आमंत्रित करने के नोटिस के अनुसार निविदा प्रक्रिया में भाग लेना था-प्रत्यर्थी को अपनी सीलबंद बोली (तकनीकी और वित्तीय) जमा करके निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की आवश्यकता थी, निविदा दस्तावेजों में स्पष्ट शर्तों के बावजूद, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने में विफल रहने के कारण, जिसकी वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी, प्रत्यर्थी को यह तर्क देते हुए नहीं सुना जा सकता है कि उसने बोली प्रक्रिया में भाग लिया था।

किसी भी अधिकार को प्राप्त किया-इसमें कुछ भी नहीं था

आवेदन (प्रतिवादी यू/एस द्वारा दायर किया गया। 17) यहाँ तक कि दूर से यह सुझाव देना कि प्रत्यर्थी ने प्रार्थना की थी कि उसे प्रस्तावित निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से छूट दी जाए, और फिर भी सबसे कम बोली लगाने वाले को आशय पत्र जारी करने से पहले आरओएफआर का प्रयोग किया जा सकता है।

इस संबंध में छूट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और इसे व्यक्त करना होगा।

-

न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार प्रतिवादी को कोई स्पष्ट छूट नहीं दी गई थी। 23 आर. ओ. एफ. आर. का प्रयोग करने या बोली प्रक्रिया में भाग लिए बिना सबसे कम बोली का मिलान करने के लिए जुलाई, 2016-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए न्यायाधिकरण के निर्णय को स्वीकार नहीं किया जा सकता-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-एस. एस. 9 , 17 और 37 (2) (बी)।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 निविदा में नियमों और शर्तों के अनुसार

दस्तावेज़, प्रत्यर्थी का एल-1 की बोली का मिलान करने या आरओएफआर का प्रयोग करने का अधिकार केवल तभी लागू होगा जब प्रत्यर्थी

इच्छुक पक्षों से निविदाएं आमंत्रित करने के नोटिस के अनुसार निविदा प्रक्रिया में भाग लेना था। निविदा प्रक्रिया का उद्देश्य न केवल एक पारदर्शी तंत्र का पालन करना है, बल्कि प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और सभी निविदाकारों को उचित प्रस्ताव या धन के लिए मूल्य प्राप्त करने के अंतिम परिणाम के साथ समान अवसर देना है। निविदा में पात्रता खंड के सरल शब्द दस्तावेज़ और आनुषंगिक शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि प्रत्यर्थी को अपनी सीलबंद बोली (तकनीकी और वित्तीय) जमा करके निविदा प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक था। तथ्य यह है कि निविदा दस्तावेज़ में एक डीमिंग खंड प्रदान किया गया है कि यदि प्रतिवादी बोली प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है, तो यह माना जाएगा कि वह आर. एफ. पी. के निविदा खंड 3 से 6 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो कि परियोजना का मौजूदा रियायतकर्ता है, प्रत्यर्थी को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से छूट नहीं देता है; बल्कि दस्तावेजों की शर्तों की अवधि ने प्रत्यर्थी के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य बना दिया है, जिसे अन्य लोगों के साथ एक उत्तरदायी बोलीदाता माना जाता है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने में विफल रहने के कारण और, विशेष रूप से, निविदा दस्तावेजों में स्पष्ट शर्तों के बावजूद, जिसकी वैधता को चुनौती नहीं दी गई है, प्रतिवादी को यह तर्क देते हुए नहीं सुना जा सकता है कि उसने कोई भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। केवल वे निकाय जो निविदा सूचना के अनुसरण में निविदा प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें संबंधित निविदा दस्तावेजों के किसी भी नियम और शर्तों को पूरा न करने या उनके उल्लंघन के बारे में शिकायत करने की अनुमति दी जा सकती है। जिस प्रतिवादी ने निविदा प्रक्रिया से दूर रहने का विकल्प चुना, उसे किसी भी तरह से, [2018] 9 एस. सी. आर. में भाग लेने वाले योग्य बोलीदाताओं के अधिकारों को कम करने के लिए नहीं सुना जा सकता है।

लिखित और स्पष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर निविदा प्रक्रिया। निविदा प्रक्रिया की समाप्ति पर, यदि

प्रत्यर्थी ने भाग नहीं लिया था, कानून में, योग्य बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बताए गए नियमों और शर्तों के आधार पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, यदि दावा

प्रतिवादी को विषय निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर सख्ती से निर्णय दिया जाना था, प्रतिवादी के पास कोई मामला नहीं है। [पैरा 18] [1046-सी-एच; 1047 ए]

1.2 पूरे आवेदन में कुछ भी नहीं है (मध्यस्थता और सुलह की धारा 17 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया)

अधिनियम, 1996) यहां तक कि दूर से यह सुझाव देने के लिए कि प्रत्यर्थी ने प्रार्थना की थी कि उसे प्रस्तावित निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से छूट दी जाए, और अभी भी उससे पहले आरओएफआर का प्रयोग कर सकता है सबसे कम बोली लगाने वाले को आशय पत्र जारी किया जाना था। इस संबंध में छूट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह एक स्पष्ट छूट होनी चाहिए जो मांगी गई है और इस प्रकार दी गई है और इसमें खुलासा किया गया है

निविदा दस्तावेज। इस तरह की छूट का अनुरोध किया जाना चाहिए था और अदालत द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाना चाहिए था। इस तरह की स्पष्ट छूट के अभाव में, प्रतिवादी उच्च न्यायालय के आदेश की अपनी समझ के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सार्वजनिक रूप से अधिसूचित निविदा दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य था।

इस तरह के अधिसूचित नियमों और शर्तों के अनुरूप बोली प्रक्रिया में भाग लेने में विफल रहने के कारण, प्रत्यर्थी ने 23 जुलाई, 2016 के आदेश के तहत दिए गए अवसर को खो दिया

सबसे कम बोली या आरओएफआर का प्रयोग करना। कोई अन्य दृष्टिकोण भारतीय कानून की मौलिक नीति के खिलाफ होगा और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 19] [1047-सी-जी]

1.3 यह प्रतिवादी का मामला नहीं है कि एक एक्सप्रेस

प्रत्यर्थी को बोली प्रक्रिया में भाग लेने से छूट दी गई है। निविदा प्रक्रिया के मामले में, भाग लेने से कोई मौन या निहित छूट नहीं हो सकती है। सबसे पहले, क्या इस तरह का निर्देश अधिनियम की धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा जारी किया जा सकता है, इस पर बहस की जा सकती है। हालाँकि, चूंकि 23 जुलाई, 2016 के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए कोई भी उस पहलू पर विस्तार नहीं करना चाहता है। वास्तव में, अपीलार्थी ने इस उम्मीद के साथ आदेश को स्वीकार कर लिया कि एक उचित निविदा प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है, जिसमें प्रत्यर्थी भारत का राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण भी होगा।

ग्वालियर झाँसी एक्सप्रेसवे लिमिटेड

अपूर्ण और शेष के अनुबंध को प्रदान करने के लिए भाग लें

सबसे कम बोली का मिलान करने या आरओएफआर का प्रयोग करने के लिए उत्तरदाता। उक्त आवेदन का विरोध करने के लिए, अपीलार्थी ने उत्तर शपथ पत्र में जोर देकर कहा था कि प्रत्यर्थी निविदा दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के बारे में पूरी तरह से जानता था और फिर भी इसमें भाग नहीं लेने का फैसला किया। बोली प्रक्रिया। प्रत्यर्थी ने कोई प्रत्युत्तर दाखिल करके उक्त दावे का प्रतिवाद करना आवश्यक नहीं समझा। इसके बावजूद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण प्रत्यर्थी द्वारा की गई याचिका से प्रभावित हुआ और 24 मई, 2017 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी के आवेदन को अनुमति दी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस तथ्य से अधिक प्रभावित था कि प्रतिवादी ने परियोजना के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर लिया था और यह न्यायसंगत और उचित होगा।

उत्तरदाता को शेष कार्य पूरा करने की अनुमति देना। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया कि क्या

23 जुलाई, 2016 का आदेश एक व्यापक और बिना शर्त आदेश था जो प्रत्यर्थी को बोली प्रक्रिया में भाग लिए बिना सीधे आरओएफआर का अभ्यास करने का अधिकार देता था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने केवल अपीलार्थी की आपत्ति को स्वीकार किया और इस निष्कर्ष पर इसे खारिज कर दिया कि परियोजना में किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी से गंभीर समस्याएं पैदा होंगी। यह विचार लिया कि विकल्प देना प्रत्यर्थी को सबसे कम बोली का मिलान करने और शेष कार्य को पूरा करने के लिए, समय-समय पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शर्त के साथ यह निगरानी करने के लिए कि क्या शेष कार्य एनएचएआई, [2018] 9 एस. सी. आर. की संतुष्टि के लिए सफलतापूर्वक पूरा किया गया था।

यह एक उचित और न्यायसंगत व्यवस्था होगी। यह दृष्टिकोण भारतीय कानून की मौलिक नीति के अनुरूप नहीं है। [पैरा 20] [1047-जी-एच; 1048-ए-एच; 1049-ए]

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई भी त्रुटि, बहुत कम प्रकट त्रुटि। इसके अलावा, उच्च न्यायालय अधिक उत्सुक था यह जानना कि यदि प्रत्यर्थी ने बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लिया होता तो अपीलार्थी के प्रति क्या पूर्वाग्रह पैदा होता। उच्च न्यायालय का यह सवाल इस पर सवाल उठा रहा है। क्योंकि, अधिनियम की धारा 17 के तहत आवेदन में प्रतिवादी द्वारा दावा की गई राहत का जवाब देने के लिए यह प्राथमिक आधार नहीं हो सकता है। एक इकाई जो बोली प्रक्रिया से दूर रहती है और एक्सप्रेस का पालन करने में विफल रहती है

निविदा दस्तावेजों के नियम और शर्तें सबसे कम बोली या आरओएफआर का प्रयोग करने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। केवल ए

प्रत्यर्थी, भारतीय कानून की मौलिक नीति के अनुरूप। [पैरा 21] [1049-बी-जी] 1.5 उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय भारतीय कानून की मौलिक नीति के खिलाफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

[पैरा 24] [1051-ए] भारत का राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण v. ग्वालियर झाँसी एक्सप्रेसवे लिमिटेड

एम/एस। राज वेस्ट पावर लिमिटेड और अन्र। बनाम राजस्थान

विद्युत नियामक आयोग और अन्य। 2013 एससीसी

ऑनलाइन ए. पी. टी. ई. एल. 46-लागू नहीं है।

वीएचसीपीएल-एडीसीसी पिंगलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और ए. एन. आर.

बनाम भारत संघ और अन्य। 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2687

संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3288

2018 का

ए. आर. बी. में नई दिल्ली में उच्च न्यायालय दिल्ली के दिनांक 21.08.2017 के निर्णय और आदेश से। ए. (कॉम.) 2017 का सं. 20

के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., सुश्री कनिका टंडन, सुश्री मधु स्वेता, रोहित भट, सुश्री आस्था त्यागी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , दीपक खुराना, सुश्री मनाली सिंघल, तेजस्वी आनंद, उमेश कुमार खेतान, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1. यह अपील नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 अगस्त, 2017 के फैसले से अपील ARB.A (कॉम.) में निकलती है। 2017 का No.20 जिसके तहत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 (2) (बी) के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर अपील (संक्षेप में, "अधिनियम") अधिनियम की धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित 24 मई, 2017 के आदेश को रद्द करने की मांग करती है, खारिज कर दी गई। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 24 मई, 2017 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी द्वारा पसंद किए गए आवेदन की अनुमति दी (दावेदार) अधिनियम की धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित 23 जुलाई, 2016 के आदेश के संदर्भ में और पहले इनकार के अधिकार ("आरओएफआर") का प्रयोग करने और अन्य परिणामी राहतों के लिए प्रतिवादी को सबसे कम बोली का मिलान करने के विकल्प का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए अपीलार्थी को निर्देश देने की मांग करता है।

2. अनावश्यक विवरणों से वंचित, कुछ प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी (एक निगमित निकाय, जिसका गठन राष्ट्रीय प्राधिकरण के तहत किया गया है)

भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988) एक रियायत में प्रवेश किया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों (2018) 9 एस. सी. आर. पर राष्ट्रीय राजमार्ग (आई. डी. 2) पर मौजूदा दो लेन वाले हिस्से को चार लेन तक चौड़ा करने के कार्यों के लिए प्रतिवादी (अपोलो

एंटरप्राइजेज लिमिटेड और डी. एस. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का एक संघ) के साथ 17 दिसंबर, 2006 का समझौता।

उसमें। अपीलार्थी दावा करता है कि प्रत्यर्थी आवश्यक गति से परियोजना कार्य करने में विफल रहा, अन्य बातों के साथ-साथ, मशीनरी, संयंत्र, सामग्री और मानव शक्ति की अपर्याप्त तैनाती के कारण। प्रतिवादी ने केवल 62 प्रतिशत प्रगति हासिल की थी और अंततः मार्च, 2012 में परियोजना स्थल को छोड़ दिया था। इसलिए, अपीलार्थी को 19 अक्टूबर, 2013 को एक उपचार अवधि सूचना जारी करनी थी, जिसमें प्रतिवादी को सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उल्लंघनों को ठीक करने की आवश्यकता होती है, जिसमें विफल रहने पर अपीलार्थी को रियायत समझौते के संदर्भ में अनुबंध को समाप्त करने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। प्रतिवादी ने इनकार किया कि

लिखित उत्तर द्वारा बताए गए नोटिस की शुद्धता। इसके बाद अपीलार्थी ने 27 फरवरी, 2014 और 7 मार्च, 2014 को पत्र जारी किए जिसमें कहा गया था कि रियायत समझौते की समाप्ति सूचना जारी करने का इरादा। प्रतिवादी अधिनियम की धारा 9 के तहत 19 अक्टूबर, 2013 के इलाज अवधि नोटिस के साथ-साथ समाप्ति नोटिस जारी करने के इरादे को व्यक्त करने वाले नोटिस पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर करके तुरंत अदालत में पहुंचा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 मार्च, 2014 को अपीलार्थी को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकते हुए अंतरिम रोक लगा दी। अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका का अंत में 22 अप्रैल, 2015 को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को एक निर्देश के साथ निपटारा किया गया, जो पहले से ही इस बीच गठित किया गया था, कि 12 मार्च, 2014 का अंतरिम आदेश मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान जारी रहेगा, जिसमें पक्षों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष इसके संशोधन या निरसन की मांग करने की स्वतंत्रता होगी।

3. तदनुसार अपीलार्थी ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अधिनियम की धारा 17 के तहत 8 अप्रैल, 2016 को एक आवेदन दायर किया जिसमें अनुरोध किया गया था कि

परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने की अनुमति क्योंकि यह यातायात की भीड़, असुरक्षित राजमार्ग, व्यय में वृद्धि, वाहनों के अधिक खराब होने और विशेष रूप से, के कारण भारी परेशानी का कारण बन रहा था।

बड़े पैमाने पर जनता के लिए राष्ट्रीय नुकसान। प्रत्यर्थी ने 17 मई, 2016 को अधिनियम की धारा 17 के तहत एक आवेदन भी दायर किया, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए प्रत्यर्थी के जोखिम और लागत पर प्रत्यर्थी को Rs.400 करोड़ का भुगतान करने के लिए अंतरिम निर्देश देने की मांग की गई। प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन में दावा की गई राहत इस प्रकार हैः

" क) वर्तमान आवेदन को अनुमति दें और एक अंतरिम उपाय के रूप में प्रतिवादी को दावेदार को जोखिम और लागत पर Rs.400 करोड़ की राशि का भुगतान करने का निर्देश दें ताकि पूरा किया जा सके।

बी) वैकल्पिक रूप से और सख्ती से पूर्वाग्रह के बिना

प्रार्थना (ए), एक अंतरिम उपाय के रूप में प्रतिवादी को अनुमति देता है शेष कार्य को निष्पादित करने के लिए निविदा/बोली आमंत्रित करना

इंजीनियरिंग खरीद पर रियायत समझौता

और दावेदार को दिए जाने के अधीन निर्माण आधार सबसे कम बोली के मिलान के लिए पहले इनकार का अधिकार और

यदि दावेदार उक्त सबसे कम बोली से मेल खाता है

दावेदार को उक्त शेष राशि/अवशेष को पूरा करने की अनुमति दें। आमंत्रित निविदा/बोली के नियमों और शर्तों पर काम करता है

इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण आधार पर बैंक को प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, को छोड़कर

गारंटी;

ग) वैकल्पिक रूप से और सख्ती से प्रार्थना के प्रति पूर्वाग्रह के बिना (क)

& (ख), प्रत्यर्थी को उनके दिनांकित पत्र के संदर्भ में कार्य करने का निर्देश दें।

19.01.2016 और पूर्व घटना में दिनांकित परिपत्र 09.06.2015

इंजीनियरिंग पर शेष कार्य के अनुबंध के पुरस्कार के लिए परियोजना ऋणदाताओं की खरीद और निर्माण आधार

दावेदार प्रत्यर्थी को पहला शुल्क प्रदान करने के लिए सहमत है;

घ) इस तरह के आगे के आदेश और अन्य राहत (ओं) को पारित करें

न्यायाधिकरण में उपयुक्त, न्यायसंगत, आवश्यक और उपयुक्त माना जा सकता है मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ।

(जोर दिया गया)

4. पूर्व में उपर्युक्त कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान

15 मार्च, 2016 की मंत्रियों की बैठक के अनुसार ग्वालियर-झांसी परियोजना के मुद्दों पर चर्चा करने और उन्हें समाप्त करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की 19 अप्रैल, 2016 को एनएचएआई-मुख्यालय में चैंबर ऑफ मेंबर (पी) में एक बैठक आयोजित की गई थी ताकि बिना किसी देरी के काम फिर से शुरू किया जा सके। इससे पहले 27 अप्रैल, 2016 को एक और बैठक बुलाई गई थी

प्राधिकरण ने कहा, जिसके परिणामस्वरूप मामले की सुनवाई 18 मई, 2016 तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्थगित तिथि पर, अपीलार्थी की ओर से पेश अधिवक्ता ने 19 अप्रैल, 2016 और 27 अप्रैल, 2016 को आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त पर भरोसा रखा। आवेदनों की सुनवाई को 29 मई, 2016 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 24 महीने की अवधि के भीतर शेष कार्य को पूरा करने के लिए एक निर्माण-संबंधित वित्तीय योजना प्रस्तुत की थी। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर 28 मई, 2016 को अपना जवाब दाखिल किया।

इस बात पर जोर दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय योजना 19 जून, 2015 के एनएचएआई परिपत्र के अनुरूप नहीं थी। इस बीच, 25 मई, 2016 को प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 17 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन पर अपना जवाब दाखिल किया। अपीलार्थी ने कहा था कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए एनएचएआई के प्रथम प्रभार की शर्त के साथ नीति के अनुसार परियोजना को पूरा करने के लिए धन डालने पर सहमति है। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा निर्दिष्ट शर्तें भी शामिल थीं। शर्ते

अपीलार्थी द्वारा सुझाए गए सुझावों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निम्नानुसार नोट किया गया है:

" (i) चूंकि प्रत्यर्थी एक सार्वजनिक निकाय है, इसलिए सबसे कम बोली लगाने वाले को काम से वंचित किए जाने की स्थिति में, इसकी आवश्यकता होगी - क्षतिपूर्ति की। इस उद्देश्य के लिए दावेदार/रियायत प्राप्तकर्ता

प्राधिकरण को बोली राशि का 2 प्रतिशत राशि का भुगतान करें, जिसमें से 75 प्रतिशत का भुगतान सबसे कम बोली लगाने वाले को किया जाएगा। यह पार्टियों द्वारा सहमत और रियायत समझौते में प्रदान की गई तर्ज पर है
मॉडल रियायत समझौते (एमसीए) पर आधारित।

((ii) प्रत्यर्थी बिना बैंक गारंटी के किसी भी 'मोबिलाइजेशन एडवांस' का भुगतान नहीं करेगा।

राशि। अग्रिम राशि 2 प्रतिशत की दर से ब्याज पर होगी।

(iv) निर्माण समझौते के नियम और शर्तें रियायत समझौते के किसी भी नियम और शर्त के अतिरिक्त होंगी न कि प्रतिस्थापन में। किसी भी असमानता की स्थिति में रियायत अनुबंध की शर्तें प्रबल होंगी।
(v) निर्माण के विनिर्देश और गुणवत्ता नहीं होगी

रियायत समझौते में निर्धारित से कम।

(vi) प्रत्यर्थी खर्च और नुकसान के लिए परिणामी अतिरिक्त दावे करने के लिए स्वतंत्र होगा।

पीड़ित "।

प्रतिवादी ने वकील के माध्यम से मध्यस्थ न्यायाधिकरण को सूचित किया कि

प्रतिवादी शर्त संख्या (ii) को छोड़कर उपरोक्त शर्तों को स्वीकार करेगा।

भारत का राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण v. ग्वालियर झाँसी एक्सप्रेसवे लिमिटेड [ए. एम. खानविलकर, जे.]

5. मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा 28 तारीख को दलीलें सुनी गईं।

मई, 2016। इससे पहले कि अधिनियम की धारा 17 के तहत पक्षों द्वारा दायर आवेदन आगे बढ़ सके, अपीलार्थी ने 25 मई, 2016 के अपने जवाब में संशोधन के लिए अधिनियम की धारा 23 के तहत एक आवेदन दायर किया ताकि 28 मई, 2016 के प्रक्रिया आदेश संख्या 9 में संशोधन के लिए प्रार्थना (बी) की अपनी स्वीकृति को वापस लिया जा सके। अंत में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 23 जुलाई, 2016 के एक सामान्य आदेश द्वारा आवेदनों का निपटारा किया। इसने अपने आवेदन के प्रार्थना खंड (बी) के संदर्भ में प्रतिवादी द्वारा दावा की गई राहत को स्वीकार कर लिया, जिसे ऊपर पैराग्राफ 3 में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

6. मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी की याचिका को खारिज कर दिया

उत्तर शपथ-पत्र में उल्लिखित अपने पहले के प्रस्ताव से पीछे हटें। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार टिप्पणी कीः

.....

एनएचएआई को जांच करने और ठोस बनाने के लिए समय दिया गया प्रार्थना (ख) और एकतरफा शर्तों के संबंध में प्रस्ताव

स्वयं एनएचएआई द्वारा सुझाए गए इस आशय का एक आदेश न्यायाधिकरण द्वारा 18 मई, 2016 को पारित किया गया था। एन. एच. ए. आई. द्वारा निर्धारित शर्तें, 13 मई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में सी. सी. ई. ए. द्वारा सुझाए गए सुझावों की तुलना में अधिक कठोर हैं, विशेष रूप से 14 अक्टूबर, 2015 को किए गए सी. सी. ई. ए. निर्णय में, जहां सी. सी. ई. ए. में कहा गया है कि निर्माण के बाद, एन. एच. ए. आई., ऋणदाता और रियायत प्राप्तकर्ता के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के निष्पादन के माध्यम से ऋण की द्विवार्षिक वसूली की जा सकती है। सी. सी. ई. ए. द्वारा समर्थित नीति न केवल एन. एच. ए. आई., नागरिकों और यात्रियों के आराम के स्तर पर ध्यान देती है, बल्कि रियायत पाने वाले के भी आराम के स्तर पर ध्यान देती है। हमें यह मानना होगा कि सी. सी. ई. ए. द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों और 9 जून, 2015 के परिपत्र के संदर्भ में एकमुश्त निधि निवेश के लिए दावेदार की पात्रता सहित उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद, एन. एच. ए. आई. ने विभिन्न शर्तों का सुझाव दिया और उन सभी शर्तों को दावेदार द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसमें एन. एच. ए. आई. द्वारा जुटाई जाने वाली अग्रिम राशि के लिए बैंक गारंटी भी शामिल है। हमारा विचार है कि बिना शर्त बैंक गारंटी देने से एनएचएआई के हितों की भी रक्षा होती है।

हम पाते हैं कि एनएचएआई के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि दावेदार को काली सूची में डाल दिया गया है या वह शेष कार्य को पूरा करने में असमर्थ है। हमारे विचार में, यह जनहित में नहीं होगा यदि शेष काम किसी तीसरे पक्ष को आवंटित किया जाता है और तथ्यों और परिस्थितियों में, कोई भी एक ही आदेश पारित करने की संभावना से इनकार नहीं कर सकता है, भले ही एनएचएआई को उसके द्वारा सुझाए गए एकतरफा शर्तों को वापस लेने की अनुमति दी गई हो।

न्यायाधिकरण ने 25 मई, 2016 के अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि केवल तभी जब दावेदार एनएचएआई द्वारा निर्धारित सभी शर्तों से सहमत होगा, दावेदार को शेष कार्य पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। दावेदार ने अब न्यायाधिकरण के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है कि एनएचएआई द्वारा निर्धारित सभी शर्तें हैं:

यह स्वीकार करने योग्य है कि तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण, हम एनएचएआई द्वारा अधिनियम की धारा 23 के तहत दावेदार के धारा 17 आवेदन के अपने 25 मई, 2016 के जवाब में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन पर विचार करने का कोई कारण नहीं पाते हैं, ताकि उसके द्वारा एकतरफा रूप से सुझाए गए शर्तों को वापस लिया जा सके। हमारा यह भी विचार है कि 28 मई, 2016 के प्रक्रियात्मक आदेश संख्या 9 में संशोधन के लिए बताए गए कारणों को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कायम नहीं रखा जा सकता है और हमें इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि एनएचएआई द्वारा धारा 17 आवेदन में दावेदार द्वारा की गई वैकल्पिक प्रार्थना (बी) के लिए निर्धारित विशिष्ट शर्तों को बिना सोचे समझे बनाया गया है या कि तथाकथित 'उच्च प्रबंधन' अनजान था।

इस मध्यस्थता कार्यवाही की लंबितता के साथ-साथ पक्षों द्वारा दायर धारा 17 के आवेदनों की लंबितता और एनएचएआई के मुख्यालय में इस मामले के संबंध में आयोजित विभिन्न बैठकों और लीड बैंक, दावेदार और एनएचएआई के अधिकारियों की भागीदारी और सीसीईए द्वारा निर्धारित नीति का अर्थ और सामग्री। एनएचएआई द्वारा वरीयता प्राप्त धारा 17 आवेदन

इसलिए खारिज कर दिया जाता है और दावेदार द्वारा अपने धारा 17 आवेदन में की गई प्रार्थना (बी) एनएचएआई द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमत है।

एनएचएआई को निर्देश दिया गया है कि वह आज से दो सप्ताह के भीतर इस आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई करे और एक महीने के भीतर इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। दावेदार को प्रार्थना (बी) स्वीकार करने के लिए एनएचएआई द्वारा लगाई गई शर्तों का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

दावेदार को आगे भारत के राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण के समक्ष तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

ग्वालियर झाँसी एक्सप्रेसवे लिमिटेड [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इस न्यायाधिकरण के आदेश के आधार पर उसके द्वारा किए गए शेष कार्य की प्रगति का न्यायाधिकरण। दावेदार को निर्देश दिया जाता है कि वह एनएचएआई द्वारा निर्धारित समय के भीतर जुटाई जाने वाली अग्रिम राशि पर राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारंटी प्रस्तुत करे। अधिनियम की धारा 17 के तहत एनएचएआई द्वारा किए गए आवेदन और अधिनियम की धारा 23 के तहत किए गए आवेदन दोनों का उपरोक्त तरीके से निपटारा किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से पक्षों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों को सुरक्षित रखा जाता है।

बात है।
इस आदेश के साथ-साथ अभिलिखित टिप्पणियों और निष्कर्षों का मुख्य मामले के अंतिम निपटान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7. अपीलार्थी ने उपरोक्त अंतरिम आदेश को स्वीकार कर लिया

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया और इसे अंतिमता प्राप्त करने की अनुमति दी गई। क्योंकि, विषय परियोजना निर्माण संचालन और हस्तांतरण (बी. ओ. टी.) आधार पर थी, परियोजना के संबंध में या शेष कार्य के पूरा होने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा की गई कोई भी राशि रियायत प्राप्तकर्ता (प्रतिवादी) द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी थी।

8. अपीलार्थी ने तदनुसार शेष कार्य के लिए एक निविदा जारी की

28 नवंबर, 2016 के नोटिस के माध्यम से जो तथ्य 10 दिसंबर, 2016 को सुनवाई के दौरान मध्यस्थ न्यायाधिकरण के संज्ञान में लाया गया था। निविदा सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में रखी गई थी, जैसा कि अन्य निविदा प्रक्रिया के मामले में किया जाता है। निविदा दस्तावेजों के कुछ प्रासंगिक खंडों को हमारे समक्ष जारी मामले पर विचार करने के लिए उपयुक्त रूप से पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। बोली के लिए आमंत्रण ("आई. एफ. बी".) के संबंध में बोली दस्तावेज़, खंड I में, यह उल्लेख किया गया था कि उक्त दस्तावेज़ में दी गई तालिका में विस्तृत शेष कार्य के निर्माण और पूरा करने के लिए योग्य बोलीदाताओं से सीलबंद बोलियां (तकनीकी और वित्तीय) आमंत्रित की गई थीं। खंड (1) में कहा गया है कि बोली लगाने वालों की पात्रता का मूल्यांकन योग्यता के आधार पर किया जाएगा। दूसरे भाग में वित्तीय बोली केवल उन बोलीदाताओं के लिए खोली जाएगी जिनकी तकनीकी बोलियां प्रस्ताव के लिए अनुरोध ("आर. एफ. पी".) के अनुसार पात्रता और योग्यता आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी थीं। इसके अलावा, आई. एफ. बी. का खंड (7) इस प्रकार हैः

" 7. बोलीदाता निम्नलिखित पर ध्यान दे सकते हैंः

इस आर. एफ. पी. में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, माननीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार, चार लेन परियोजना (एन. एच. [2018] 9 एस. सी. आर. का ग्वालियर-झांसी खंड) के बी. ओ. टी. वार्षिकी रियायतकर्ता (मैसर्स ग्वालियर झांसी एक्सप्रेसवे लिमिटेड)।

75 , एक उत्तरदायी बोलीदाता भी है, रियायतकर्ता
सबसे कम बोली का मिलान करने का विकल्प है
चयन मानदंड, 2 प्रतिशत (दो प्रतिशत) के भुगतान के अधीन
प्राधिकरण को बोली राशि और उसके बाद बन जाती है
चयनित बोलीदाता। .....

(जोर दिया गया)

निविदा के लिए प्रक्रिया का प्रावधान करने वाले बोली दस्तावेज का प्रथम भाग
बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों के अनुसार, बोलीदाताओं की पात्रता
इसके खंड (3) में निर्दिष्ट किया गया है जो इस प्रकार हैः

योग्य बोलीदाता

" 3 .

बोलीदाताओं की पात्रता बोलीदाता के पास होने पर आधारित होती है।

3.1 अपने सामान्य और विशेष अनुभव के संबंध में असफल मानदंड,
वित्तीय स्थिति, कार्मिक और उपकरण क्षमताएँ और अन्य
आवेदक की प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रदर्शित प्रासंगिक जानकारी संलग्न प्रपत्रों पर।

3.2 . बोलियों के लिए यह निमंत्रण बैठक करने वाले बोलीदाताओं के लिए खुला है
निम्नलिखित आवश्यकताएँः

अ) XXX

XXX

XXX

ख) XXX

XXX

XXX

(c) XXX

XXX

XXX

(घ)

XXX

XXX

XXX

" (ई) में निहित विपरीत कुछ भी होने के बावजूद

यह आर. ई. पी., माननीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार, यदि

एनएच-75 का खंड भी एक उत्तरदायी बोलीदाता है, रियायत पाने वाले के पास इसका मिलान करने का विकल्प होगा

चयन मानदंड के संदर्भ में सबसे कम बोली, भुगतान के अधीन

प्राधिकरण को बोली राशि का 2 प्रतिशत (दो प्रतिशत) और

प्राधिकरण (अवैध) द्वारा प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत प्राधिकरण द्वारा सबसे कम बोली लगाने वाले को भुगतान किया जाए। बचने के लिए

संदेह के कारण, यह स्पष्ट किया जाता है कि मुआवजे, हर्जाने के लिए कोई दावा नहीं,

अयोग्य चयन के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले द्वारा लाभ आदि का नुकसान

बोलीदाता, प्राधिकरण से स्वीकार्य होगा।

(च) में निहित इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद

इस आर. एफ. पी. की पात्रता और योग्यता के उद्देश्यों के लिए

बी. ओ. टी.-वार्षिकी रियायत प्राप्तकर्ता (मेसर्स ग्वालियर झांसी)

एक्सप्रेसवे लिमिटेड), यदि उसने बोली में भाग लिया है

आर. एफ. पी. के खंड 3 से 6, मौजूदा रियायत प्राप्तकर्ता होने के नाते चार लेन परियोजना (एनएच-75 का ग्वालियर-झांसी खंड)।

(जोर दिया गया)

खंड 26 में यह इस प्रकार कहा गया हैः

" 26. तकनीकी बोलियों की जांच और उनका निर्धारण

तकनीकी बोलियों की प्रतिक्रिया

एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

XXX

एक्स एक्स एक्स

26.8 इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद

आर. एफ. पी., माननीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार, यदि

बी. ओ. टी.-वार्षिकी रियायत प्राप्तकर्ता (मेसर्स ग्वालियर झांसी)

एक्सप्रेसवे लिमिटेड) फोर लेन परियोजना (ग्वालियर-झांसी) एनएच-75 का खंड भी एक उत्तरदायी बोलीदाता है,

रियायत पाने वाले के पास इसका मिलान करने का विकल्प होगा

इसके बाद चयनित बोलीदाता बन जाता है, इस राशि में से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त राशि का 75 प्रतिशत इसके द्वारा भुगतान किया जाएगा

सबसे कम बोली लगाने वाले को प्राधिकरण। संदेह से बचने के लिए, यह

यह स्पष्ट किया जाता है कि मुआवजे, नुकसान, लाभ के नुकसान के लिए कोई दावा नहीं है अयोग्य चयनित बोलीदाता के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले आदि द्वारा

प्राधिकरण से स्वीकार्य होना।

26.9 इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद

खंड 3 से 6 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माना जाएगा आर. एफ. पी. का, चार लेन का मौजूदा रियायतकर्ता होने के नाते

परियोजना (एनएच-75 का ग्वालियर-झांसी खंड)।

27. वित्तीय बोलियों का उद्घाटन।

XXX

XXX

XXX

27.5 इस आर. एफ. पी. में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, माननीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार, यदि बी. ओ. टी.-वार्षिकी रियायत प्राप्तकर्ता (मैसर्स ग्वालियर झांसी)

एक्सप्रेसवे लिमिटेड) की चार लेन की परियोजना (एन. एच.-75 का ग्वालियर-झांसी खंड) भी एक उत्तरदायी बोलीदाता है, रियायत प्राप्तकर्ता के पास चयन मानदंड के संदर्भ में सबसे कम बोली का मिलान करने का विकल्प होगा, बशर्ते भुगतान किया जाए। बोली राशि का 2 प्रतिशत (दो प्रतिशत) प्राधिकरण को दिया जाता है और उसके बाद वह चयनित बोलीदाता बन जाता है। प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार प्राप्त राशि में से 75 प्रतिशत राशि का भुगतान प्राधिकरण द्वारा सबसे कम बोली लगाने वाले को किया जाएगा। संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि मुआवजे, नुकसान, लाभ के नुकसान के लिए कोई दावा नहीं है।

प्राधिकरण से स्वीकार्य अयोग्य चयनित बोलीदाता के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले द्वारा आदि।

27.6 इस आर. एफ. पी. में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, बी. ओ. टी. की पात्रता और योग्यता के उद्देश्यों के लिए

वार्षिकी रियायत प्राप्तकर्ता (मेसर्स ग्वालियर झांसी एक्सप्रेसवे लिमिटेड), यदि उसने बोली प्रक्रिया में भाग लिया है, तो यह माना जाएगा कि यह आर. एफ. पी. के खंड 3 से 6 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि यह चार लेन परियोजना (एन. एच.-75 का ग्वालियर झांसी खंड) का मौजूदा रियायत प्राप्तकर्ता है।

(जोर दिया गया)

खंड 30 में यह इस प्रकार देखा गया हैः

" 30. वित्तीय बोलियों की जांच और वित्तीय बोलियों की प्रतिक्रिया का निर्धारण

XXX

XXX

XXX

XXX

30.4 इस आर. एफ. पी. में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, माननीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार, यदि -

बी. ओ. टी.-वार्षिकी रियायत प्राप्तकर्ता (मेसर्स ग्वालियर झांसी) एक्सप्रेसवे लिमिटेड) फोर लेन परियोजना (ग्वालियर झांसी खंड)

एन. एच.-75 का एक उत्तरदायी बोलीदाता भी है, रियायतकर्ता के पास चयन मानदंड के संदर्भ में सबसे कम बोली का मिलान करने का विकल्प होगा, बशर्ते प्राधिकरण को बोली राशि का 2 प्रतिशत (दो प्रतिशत) का भुगतान किया जाए और उसके बाद वह चयनित बोलीदाता बन जाता है।

प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार प्राप्त राशि में से 75 प्रतिशत राशि का भुगतान प्राधिकरण द्वारा सबसे कम बोली लगाने वाले को किया जाएगा। संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण के लिए कोई दावा नहीं।

ग्वालियर झाँसी एक्सप्रेसवे लिमिटेड [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सबसे कम बोली लगाने वाले द्वारा क्षतिपूर्ति, नुकसान, लाभ की हानि आदि।

अयोग्य चयनित बोलीदाता के लिए, से स्वीकार्य होगा प्राधिकरण।

30.5 इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद आर. एफ. पी., बी. ओ. टी. की पात्रता और योग्यता के उद्देश्यों के लिए

वार्षिकी रियायत प्राप्तकर्ता (मेसर्स ग्वालियर झांसी एक्सप्रेसवे)

लिमिटेड), यदि उसने बोली प्रक्रिया में भाग लिया है, तो वह

खंड 3 से 6 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माना जाएगा

आर. एफ. पी. का, चार लेन का मौजूदा रियायतकर्ता होने के नाते

परियोजना (एनएच-75 का ग्वालियर-झांसी खंड) "।

(जोर दिया गया)

9. ई पर अपलोड किए गए निविदा दस्तावेजों के अनुरूप

निविदा पोर्टल 2016, तकनीकी बोलियां 5 जनवरी, 2017 को खोली गईं और वित्तीय बोलियां 29 मार्च, 2017 को खोली गईं। इसके बाद ही 25 अप्रैल, 2017 को प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ,

अपने जोखिम और लागत पर शेष कार्य को पूरा करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अनुमति। उक्त आवेदन में, यह दावा किया गया था कि प्रत्यर्थी को वास्तव में विश्वास था कि उसे 23 जुलाई, 2016 के आदेश के संदर्भ में आरओएफआर के विकल्प का उपयोग करने और सबसे कम बोली लगाने का अवसर मिलेगा। हालाँकि, अपने पूर्ण आघात, आश्चर्य और निराशा के लिए, पिछले दिन (आवेदन दाखिल करने के लिए) यह विश्वसनीय रूप से पता चला कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के पीछे और अत्यधिक गुप्त और अपारदर्शी तरीके से एल-1 बोली के पक्ष में एल. ओ. आई./एल. ओ. ए. जारी करके निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उक्त के आधार पर

प्रत्यर्थी ने धारा 17 के तहत दायर अपने आवेदन में दावा किया

अधिनियम ने इस प्रकार प्रार्थना कीः

वर्तमान आवेदन की अनुमति दें और प्रत्यर्थी को निर्देश दें

" अ)

दावेदार को इनकार करने का पहला अधिकार देने के लिए

इसके द्वारा पारित 23.07.2016 दिनांकित आदेश के संदर्भ में सबसे कम बोली

माननीय न्यायाधिकरण;

ख) वर्तमान आवेदन की सुनवाई और निपटान के लिए, पारित करें।

एक पूर्व-पक्षीय विज्ञापन-अंतरिम आदेश, जो प्रत्यर्थी को निर्देश देता है कि

एल. ओ. एल./एल. ओ. ए. जारी करें या कार्यों को पुरस्कृत करें या आगे कोई कदम उठाएं।

किसी भी तरीके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी पक्ष के पक्ष में,

उत्तरदाता द्वारा प्रकाशित निविदा आमंत्रित करने की सूचना पर

1.2016 ; [2018] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ग) प्रार्थना की पुष्टि करें (ख) सूचना जारी होने पर;

घ) ऐसा आगे का आदेश और अन्य राहत (ओं) पारित करें जो इस माननीय न्यायाधिकरण को उपयुक्त, न्यायसंगत, आवश्यक और उपयुक्त समझा जा सके।

मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ।

10. अपीलार्थी द्वारा उत्तर शपथ पत्र दाखिल करके इस आवेदन का विरोध किया गया था। अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि प्रत्यर्थी ने बने रहने का फैसला किया

पूरी अवधि के दौरान और केवल विलंबित चरण में जब निविदा प्रक्रिया पूरी होने वाली थी, इसने पूरी प्रक्रिया को रोकने के इरादे से आवेदन दायर करने का विकल्प चुना है। यह तरीका नहीं हो सकता है

मुखरता से। अपीलार्थी ने यह भी कहा कि यह समझ से परे है कि प्रत्यर्थी को बोली प्रक्रिया में भाग लिए बिना सबसे कम बोली का मिलान करने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा, इस तरह के आवेदन से मुख्य मध्यस्थता कार्यवाही की प्रगति में देरी होगी जिसे एक वर्ष के भीतर पूरा करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा यह दावा किया गया कि आर. ओ. एफ. आर. को प्रतिवादी द्वारा केवल तभी लागू किया जा सकता है जब उसने बोली प्रक्रिया में भाग लिया हो। अपीलार्थी ने निविदा दस्तावेजों के उन नियमों और शर्तों को स्वीकार किया जो स्पष्ट रूप से प्रतिवादी को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनिवार्य करते थे, इस तथ्य के साथ कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया था ताकि प्रतिवादी को इसके विपरीत तर्क देने के लिए कोई अधिकार या कार्रवाई का कारण दिया जा सके। अपीलार्थी ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण से अनुरोध किया कि वह निविदा प्रक्रिया को उसके तार्किक अंत तक ले जाने की अनुमति दे।

11. मान लीजिए, प्रत्यर्थी द्वारा उत्तर शपथ पत्र में अपीलार्थी द्वारा ली गई विशिष्ट याचिका पर कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया गया था कि इसके बावजूद

निविदा दस्तावेजों में शर्त की जानकारी होने के कारण प्रत्यर्थी को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की आवश्यकता होती है, यह प्रत्यर्थी को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से ऐसा करने में विफल रहा। 12. मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 24 मई, 2017 के आदेश के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी द्वारा दिए गए आवेदन की अनुमति दी

निम्नलिखित हैः

" न्यायाधिकरण ने पक्षों द्वारा पसंद किए गए दोनों 17 आवेदनों की जांच करते हुए विशेष रूप से देखा कि दावेदार ने 65 प्रतिशत से अधिक काम पूरा कर लिया है, हालांकि एनएचएआई ने यह रुख अपनाया कि भौतिक प्रगति केवल 62.13% थी। दावेदार ने स्टैंड लिया कि इसने 73 प्रतिशत से अधिक काम पूरा कर लिया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इतना पैसा और श्रम निवेश किया गया था

दावेदार, और साथ ही एन. एच. ए. आई. के हितों की रक्षा करते हुए, भारत का एकमात्र उच्च न्यायालय प्राधिकरण v.

गेलियर एन. एस. आई. एक्सप्रेसवे लिमिटेड [ए. एम. खानविलकर, जे.]

एनएचएआई की संतुष्टि के लिए शेष कार्य को पूरा करना। हमारे विचार में, प्रत्यर्थी द्वारा लिया गया रुख कि इनकार करने का पहला अधिकार दावेदार को केवल तभी दिया जा सकता है जब उसने बोली प्रक्रिया में भाग लिया हो। तदनुसार, दावेदार द्वारा दिनांकित 25.4.2017 आवेदन में मांगी गई राहत दिया जाता है "।

13. इस निर्णय के खिलाफ, अपीलार्थी ने नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 37 (2) (बी) के तहत एक अपील दायर की, जिसे 21 अगस्त, 2017 को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

बोली में भाग लेने के लिए। उन्हें नियमों और शर्तों के अधीन सबसे कम बोली लगाने वाले का मिलान करने का अधिकार दिया गया था और उनकी सबसे कम बोली के मिलान की स्थिति में, उन्हें शेष कार्य करने का अधिकार दिया जाना था। का आग्रह अपीलार्थी कि प्रत्यर्थी को दिनांक 23.07.2017 के विद्वत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार जारी बोली में भाग लेना चाहिए था, गलत है।

13. अपीलार्थी के विद्वान वकील से कई बार पूछा गया था कि प्रत्यर्थी के कारण क्या पूर्वाग्रह पैदा होता है

बोली में भाग लेना। अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा दिया गया एकमात्र उत्तर यह था कि इसमें भागीदारी के अभाव में प्रत्यर्थी द्वारा बोली, अपीलार्थी यह पता लगाने में असमर्थ है कि क्या

प्रत्यर्थी बोलीदाता होने के योग्य था या नहीं। मेरी राय में लर्नड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के दिनांकित [2018] 9 एस. सी. आर. के आदेशों के आलोक में।

23.07.2016 अपीलार्थी को बोली में भाग नहीं लेना था। द.

अपीलार्थी की आशंका पूरी तरह से गलत है।

14. अपीलार्थी पर कोई पूर्वाग्रह नहीं डाला जाता है। यह स्पष्ट है कि प्रक्रियात्मक आवश्यकता के प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन पर जोर देने के अलावा, बोली प्रक्रिया में प्रत्यर्थी की गैर-भागीदारी से अपीलार्थी को कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है। आगे विवादित दिशाओं को पारित किया जाता है

लर्नड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दिनांक 23.07.2016 के पहले के आदेशों के अनुसार जिसे चुनौती नहीं दी गई है और जिसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

14. अपीलार्थी ने 24 मई, 2017 के मध्यस्थ न्यायाधिकरण और 21 अगस्त, 2017 के उच्च न्यायालय के निर्णय पर इस तर्क पर हमला किया है कि प्रत्यर्थी को बोली प्रक्रिया में भाग लिए बिना और शर्तों के अनुसार आरओएफआर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

और निविदा दस्तावेजों की शर्तें। अपीलार्थी के अनुसार, न्यायालय निविदा प्रक्रिया में और विशेष रूप से परियोजना के शेष कार्य के पुनः निविदा के लिए अपनाए गए तौर-तरीकों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। निविदा के मूल्यांकन और अनुबंध देने की प्रक्रिया इस प्रकार है -

बहुत कम स्पष्ट रूप से, प्रत्यर्थी को बोली प्रक्रिया में भाग लेने से छूट देता है और न ही अपीलार्थी पर ऐसी शर्त को शामिल करने से बचने के लिए कोई शर्त रखी गई है जिसके लिए प्रत्यर्थी की आवश्यकता होती है दूसरों के साथ निविदा प्रक्रिया में भाग लें। उस मामले में, प्रतिवादी सहित सभी संबंधित, शर्तों से बंधे थे और

निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट शर्तें। यह तथ्य कि प्रत्यर्थी के पास तकनीकी योग्यता है, विषय बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनिवार्यता को समाप्त नहीं करेगा और न ही करता है, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और विशेष रूप से, वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से एक उचित प्रस्ताव और धन के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करना, प्रतिभागियों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और उन्हें समान अवसर देना है। यह तर्क दिया जाता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का आदेश, चाहे वह 23 जुलाई, 2016 का हो या 24 मई, 2017 का, अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह अधिनियम की धारा 17 के दायरे से परे है।

क्योंकि, यह भारत का राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण v था। ग्वालियर झाँसी एक्सप्रेसवे लिमिटेड [ए. एम. खानविलकर, जे.]

परियोजना के अधूरे और अधूरे कार्यों को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के बावजूद एक अलग अनुबंध के संबंध में अंतरिम आदेश पारित करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए खुला नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि यह अच्छी तरह से तय स्थिति है कि निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों को तैयार करने का विशेषाधिकार नियोक्ता का है और न्यायालय ऐसी शर्तों पर अपील में नहीं बैठ सकता है। न ही इसे फिर से लिखा जा सकता है या बहुत कम संशोधित किया जा सकता है जब इसे प्रतिवादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई हो।

विषय निविदा प्रक्रिया में भागीदारी और द्वारा दी गई स्पष्ट छूट के अभाव में इसे रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है प्रतिवादी को निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेने और फिर भी आरओएफआर का प्रयोग करने के लिए सक्षम मंच/प्राधिकरण। उपरोक्त निवेदन को पुष्ट करने के लिए, वी. एच. सी. पी. एल.-ए. डी. सी. सी. पिंगलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है। लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ और Ors.[1] और मैसर्स में बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय पर। राज वेस्ट पावर लिमिटेड और अन्र। बनाम राजस्थान विद्युत नियामक आयोग और Ors.[2]

15. दूसरी ओर, प्रतिवादी का तर्क होगा कि समवर्ती दृष्टिकोण को देखते हुए इस अपील में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया कि प्रतिवादी के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक नहीं था

आरओएफआर का अभ्यास करें। क्योंकि 23 जुलाई, 2016 का आदेश निर्धारित नहीं करता है।

ऐसी पूर्व शर्त और न ही यह प्रत्यर्थी को बोली प्रक्रिया में भाग लिए बिना आरओएफआर का प्रयोग करने से रोकती है। यह तर्क दिया जाता है कि 23 जुलाई, 2016 का आदेश पक्षों की सहमति पर आधारित है और अपीलार्थी द्वारा इसे कभी चुनौती नहीं दी गई है और इस प्रकार, अपीलार्थी अपने अक्षर और भावना में इसका पालन करने के लिए बाध्य था। प्रत्यर्थी के अनुसार, परियोजना का 78 प्रतिशत काम पूरा करने के बाद (जो

1 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2687

2 2013 एससीसी ऑनलाइन ए. पी. टी. ई. एल. 46 [2018] 9 एस. सी. आर.

अपीलार्थी के अनुसार, यह केवल लगभग 62 प्रतिशत है) और परियोजना पर 1 करोड़ रुपये का निवेश करने के कारण, किसी भी तरह की कल्पना से प्रतिवादी को गैर-गंभीर दावेदार नहीं कहा जा सकता है। प्रत्यर्थी के अनुसार, अपीलार्थी को 23 जुलाई, 2016 के आदेश को चुनौती देने के लिए नहीं सुना जा सकता है, जो आरओएफआर प्रदान करता है, क्योंकि यह प्रत्यर्थी की सहमति पर आधारित था।

दलों और भी अंतिमता प्राप्त की। इसके अलावा, बोली प्रक्रिया में भाग लेने का उद्देश्य केवल यह पता लगाना था कि क्या प्रस्ताव दिया गया था

बोलीदाता द्वारा दिया गया एक उत्तरदायी प्रस्ताव था। प्रत्यर्थी ने परियोजना का पर्याप्त काम पहले ही पूरा कर लिया है, किसी भी तरह की कल्पना के बिना, शेष काम को पूरा करने में असमर्थ कहा जा सकता है। इस पहलू की मध्यस्थ न्यायाधिकरण को सराहना की गई थी, जैसा कि 23 जुलाई, 2016 के आदेश से पता लगाया जा सकता है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने उस आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि इसमें अपीलार्थी का मामला यह नहीं था कि प्रतिवादी को काली सूची में डाला गया था या वह शेष कार्य को पूरा करने में असमर्थ था। इतना ही नहीं, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने कहा कि किसी तीसरे पक्ष को परियोजना के शेष कार्य को संभालने की अनुमति देना जनहित में नहीं होगा। उस आधार पर, अपीलार्थी को निर्देश दिया गया था कि प्रत्यर्थी को आरओएफआर का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते -

कुछ शर्तें। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश, संक्षेप में, अपीलार्थी द्वारा लगाई गई एकतरफा शर्तों के साथ प्रत्यर्थी की सहमति के आधार पर था, जिसे अपीलार्थी को पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रत्यर्थी के अनुसार, अपीलार्थी के लिए निविदा दस्तावेजों में खंड 3,26,27 और 30 जैसी शर्तों को शामिल करना अस्वीकार्य था, क्योंकि वे 23 जुलाई, 2016 के आदेश के अनुसार हैं।

निविदा प्रक्रिया केवल उत्तरदायी प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने के लिए है। खंड 3.2 (च) की पृष्ठभूमि में प्रत्यर्थी की भागीदारी के लिए कोई तर्क या तर्क नहीं होगा, जो एक ऐसा प्रावधान है जो प्रत्यर्थी को वस्तुतः काम के लिए योग्य और योग्य घोषित करता है। उत्तरदाता की शेष कार्य को पूरा करने की क्षमता पर कभी संदेह नहीं था जैसा कि किया गया है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किया गया। किसी भी मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अभाव में, यह अपीलार्थी के लिए निविदा दस्तावेज़ में ऐसी पूर्व शर्त को शामिल करने के लिए खुला नहीं था। इसका प्रतिवाद किया जाता है।

कि ऐसी पूर्व शर्त के लिए प्रत्यर्थी को बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिस स्थिति में प्रत्यर्थी के लिए यह एक उचित पूर्ति की स्थिति होगी यदि वह सबसे कम बोली को अस्वीकार करने या उससे मेल खाने में विफल रहता है। क्योंकि, इसके परिणामस्वरूप इसकी बोली प्रतिभूति जब्त हो जाएगी और काली सूची में भी डाल दी जाएगी। 23 जुलाई, 2016 का आदेश आरओएफआर में से एक है और भारत के राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण के अधिकार के लिए नहीं है।

ग्वालियर झाँसी एक्सप्रेसवे लिमिटेड [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बोली प्रक्रिया में इस तरह भाग लें। इसके अलावा, प्रत्यर्थी द्वारा वित्तीय बोली प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह पता लगाना नहीं था कि यह एल-1 है या नहीं। उसमें, विषय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी बोलीदाता

निविदा सूचना के लिए, बोली दस्तावेज में ही पूरी तरह से जागरूक किया गया था कि प्रत्यर्थी के पास आरओएफआर था और एल-1 द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी

प्रत्यर्थी, जैसा कि 23 जुलाई, 2016 के आदेश में दिया गया है। इसलिए, प्रत्यर्थी से वित्तीय बोली जमा करके और फिर उसी का मिलान करके बोली लगाने की उम्मीद नहीं की जाती थी। प्रत्यर्थी यह तर्क देगा कि अपीलार्थी ने गलत तरीके से कहा है कि प्रत्यर्थी निविदा दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों से अवगत था और फिर भी उसने बोली प्रक्रिया में भाग लेने का विकल्प नहीं चुना। क्योंकि, बोली दस्तावेज न तो थे प्रत्यर्थी को प्रस्तुत किया गया और न ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष रिकॉर्ड पर रखा गया। इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा अब जिन शर्तों पर निर्भरता रखी गई है, उन्हें किसी भी समय प्रत्यर्थी या मध्यस्थ न्यायाधिकरण को कभी नहीं बताया गया था। किसी भी मामले में, अपीलकर्ता यह दिखाने में पूरी तरह से विफल रहा था कि प्रतिवादी को निविदा प्रक्रिया में भाग लिए बिना आरओएफआर का प्रयोग करने की अनुमति देने से क्या पूर्वाग्रह पैदा होगा। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने बार-बार उस ओर से प्रश्न किए जिन्हें अपीलार्थी द्वारा समझाया नहीं गया था, जैसा कि विवादित निर्णय में उल्लेख किया गया है। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि प्रत्यर्थी के लिए यह आवश्यक नहीं था

23 जुलाई, 2016 के आदेश के अनुसार बोली प्रक्रिया में भाग लेना, आर. ओ. एफ. आर. का अभ्यास करना। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा भरोसा किए गए दो निर्णयों को अलग किया है और तर्क देगा कि वे कोई कानूनी सिद्धांत निर्धारित नहीं करते हैं कि बोली प्रक्रिया में भागीदारी आरओएफआर के प्रयोग के लिए एक शर्त है। यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में, आर. ओ. एफ. आर., बोली में भाग लेने की शर्त के बिना, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पक्षों की सहमति के आधार पर प्रदान किया गया था। यह है।

तर्क दिया कि मध्यस्थ द्वारा लिए गए समवर्ती दृष्टिकोण को देखते हुए

न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय, इस न्यायालय को इस अपील पर विचार करने में धीमी गति से काम लेना चाहिए।

16. हमने श्री के. के. वेणुगोपाल, भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल और श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ वकील की ओर से पेश होते हुए सुना है।

उत्तरदाता।

17. वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा स्पष्ट रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की न्याय्यता से संबंधित है और लंबित मध्यस्थता कार्यवाही में अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रतिवादी (दावेदार) द्वारा दायर एक आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

18. प्रत्यर्थी (दावेदार) द्वारा दावा की गई राहत पर विचार करते समय, निविदा प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत की कसौटी पर इसका परीक्षण किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से जब निविदा दस्तावेज की वैधता को जारी नहीं किया गया है या किसी सक्षम मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। निविदा में नियमों और शर्तों के अनुसार दस्तावेज़, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 8 में पहले ही उल्लेख किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दावेदार (प्रतिवादी) का एल-1 की बोली का मिलान करने या आरओएफआर का प्रयोग करने का अधिकार केवल तभी लागू होगा जब प्रतिवादी को इच्छुक पक्षों से निविदा आमंत्रित करने की सूचना के अनुसार निविदा प्रक्रिया में भाग लेना था। निविदा प्रक्रिया का उद्देश्य है -

न केवल एक पारदर्शी तंत्र का पालन करना बल्कि प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और अंतिम परिणाम के साथ सभी निविदाकारों को समान अवसर देना।

इसके अलावा, निविदा दस्तावेजों में स्पष्ट शर्तों के बावजूद, जिसकी वैधता को चुनौती नहीं दी गई है, प्रतिवादी को यह तर्क देते हुए नहीं सुना जा सकता है कि उसने कोई भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। केवल वे निकाय जो निविदा सूचना के अनुसरण में निविदा प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें संबंधित निविदा दस्तावेजों के किसी भी नियम और शर्तों को पूरा न करने या उनके उल्लंघन के बारे में शिकायत करने की अनुमति दी जा सकती है। जिस प्रत्यर्थी ने निविदा प्रक्रिया से दूर रहने का विकल्प चुना, उसे लिखित और स्पष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले योग्य बोलीदाताओं के अधिकारों को किसी भी तरह से कम करने के लिए नहीं सुना जा सकता है। निविदा प्रक्रिया की समाप्ति पर, यदि प्रत्यर्थी ने भारत के योग्य राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में भाग नहीं लिया था।

ग्वालियर झाँसी एक्सप्रेसवे लिमिटेड [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बोलीदाताओं पर बताए गए नियमों और शर्तों के आधार पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, यदि प्रत्यर्थी के दावे पर सख्ती से निर्णय लिया जाना था

विषय निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर, प्रतिवादी के पास कोई मामला नहीं है।

यह तर्क देते हुए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2016 को पारित अंतरिम आदेश में न तो यह निर्धारित किया गया है कि प्रतिवादी को आरओएफआर के प्रयोग के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती के रूप में बोली प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और न ही क्या यह बोली प्रक्रिया में भागीदारी के बिना उत्तरदाता को आरओएफआर का प्रयोग करने से रोकता है? वास्तव में, आदेश इस संबंध में मौन है। लेकिन, इससे प्रत्यर्थी को कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि, इस तरह की छूट का अनुरोध किया जाना चाहिए था और न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाना चाहिए था। इस तरह की स्पष्ट छूट के अभाव में, प्रतिवादी उच्च न्यायालय के आदेश की अपनी समझ के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सार्वजनिक रूप से अधिसूचित निविदा दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य था। इस तरह के अधिसूचित नियमों और शर्तों के अनुरूप बोली प्रक्रिया में भाग लेने में विफल रहने के कारण, प्रतिवादी ने 23 जुलाई, 2016 के आदेश के तहत दी गई सबसे कम बोली का मिलान करने या प्रयोग करने का अवसर खो दिया।

आरओएफआर। कोई अन्य दृष्टिकोण भारतीय कानून की मौलिक नीति के खिलाफ होगा और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

20. यह प्रत्यर्थी का मामला नहीं है कि एक स्पष्ट छूट

बोली में भाग लेने से प्रत्यर्थी को दिया गया है प्रक्रिया। निविदा प्रक्रिया के मामले में, भाग लेने से कोई मौन या निहित छूट नहीं हो सकती है। सबसे पहले, क्या ऐसा निर्देश [2018] 9 एस. सी. आर.

अधिनियम की धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा जारी किया जा सकता है, इस पर बहस की जा सकती है। हालाँकि, 23 जुलाई, 2016 के आदेश के बाद से यह बना हुआ है बिना किसी चुनौती के, हम उस पहलू पर विस्तार नहीं करना चाहते हैं। वास्तव में, अपीलार्थी ने इस उम्मीद के साथ आदेश को स्वीकार कर लिया कि एक उचित निविदा प्रक्रिया

विषय परियोजना के अधूरे और शेष कार्यों का अनुबंध देने के लिए, जिसका उत्तरदाता भी भाग लेगा, का सहारा लिया जा सकता है। उस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, अपीलार्थी द्वारा 28 नवंबर, 2016 को निविदा दस्तावेज जारी किए गए थे, जिसमें, जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि प्रत्यर्थी से निर्दिष्ट समय के भीतर अपनी बोली जमा करने की अपेक्षा की गई थी। मान लीजिए कि यह तथ्य कि निविदा नोटिस जारी किया गया था, 10 दिसंबर, 2016 को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रकट किया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि प्रत्यर्थी ने न तो कोई सुराग लिया और न ही सार्वजनिक डोमेन में रखे गए निविदा दस्तावेजों का पालन करने की जहमत उठाई (जैसा कि किसी अन्य निविदा प्रक्रिया के संबंध में किया जाता है)। इसके अलावा, प्रत्यर्थी ने 5 जनवरी, 2017 को तकनीकी बोलियों के खुलने और 29 मार्च, 2017 को वित्तीय बोलियों का इंतजार किया और अधिनियम की धारा 17 के तहत एक आवेदन के माध्यम से मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास केवल 25 अप्रैल, 2017 को पहुंचे, जिसमें कहा गया था कि पिछले दिन, यह उसके संज्ञान में आया था कि अपीलकर्ता के सबसे कम बोली लगाने वाले को आशय पत्र जारी करने की संभावना थी, बिना दिए।

उत्तरदाता को सबसे कम बोली का मिलान करने या आरओएफआर का प्रयोग करने का अवसर।

उक्त आवेदन का विरोध करने के लिए, अपीलार्थी ने उत्तर शपथ पत्र में कहा था कि प्रत्यर्थी शर्तों के बारे में पूरी तरह से अवगत था और

निविदा दस्तावेजों की शर्तें और फिर भी इसमें भाग नहीं लेने का फैसला किया

बोली प्रक्रिया। प्रत्यर्थी ने कोई प्रत्युत्तर दाखिल करके उक्त दावे का प्रतिवाद करना आवश्यक नहीं समझा। इसके बावजूद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण प्रत्यर्थी द्वारा की गई याचिका से प्रभावित हुआ और 24 मई, 2017 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी के आवेदन को अनुमति दी। उक्त आदेश के प्रासंगिक उद्धरण को उपरोक्त पैराग्राफ 12 में पुनः प्रस्तुत किया गया है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस तथ्य से अधिक प्रभावित था कि प्रतिवादी ने परियोजना के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर लिया था और प्रतिवादी को शेष कार्य को पूरा करने की अनुमति देना उचित और उचित होगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया कि क्या 23 जुलाई, 2016 का आदेश एक व्यापक और बिना शर्त आदेश था जो प्रत्यर्थी को बोली प्रक्रिया में भाग लिए बिना सीधे आरओएफआर का प्रयोग करने का अधिकार देता है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने केवल अपीलार्थी की आपत्ति को स्वीकार किया और इस निष्कर्ष पर इसे खारिज कर दिया कि परियोजना में किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी से गंभीर समस्याएं पैदा होंगी। इसने यह विचार रखा कि प्रतिवादी को सबसे कम बोली का मिलान करने और शेष कार्य को पूरा करने का विकल्प देना, समय-समय पर भारत के राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण की शर्त के साथ।

ग्वालियर झाँसी एक्सप्रेसवे लिमिटेड [ए. एम. खानविलकर, जे.]

यह निगरानी करने के लिए कि क्या एनएचएआई की संतुष्टि के लिए शेष कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया था, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना एक उचित और न्यायसंगत व्यवस्था होगी। यह दृष्टिकोण भारतीय कानून की मौलिक नीति के अनुरूप नहीं है।

21. अपीलार्थी द्वारा दायर अपील में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अलग नहीं था। उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण को उपरोक्त अनुच्छेद 13 में पुनः प्रस्तुत किया गया है। उच्च न्यायालय ने

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि, बहुत कम स्पष्ट त्रुटि नहीं पाई गई। इसके अलावा, विवादित फैसले में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से यह पता लगाया जा सकता है कि उच्च न्यायालय यह जानने के लिए अधिक उत्सुक था कि यदि प्रतिवादी ने बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लिया होता तो अपीलार्थी के लिए क्या पूर्वाग्रह पैदा होता। उच्च न्यायालय का यह सवाल इस पर सवाल उठा रहा है। क्योंकि, अधिनियम की धारा 17 के तहत आवेदन में प्रतिवादी द्वारा दावा की गई राहत का जवाब देने के लिए यह प्राथमिक आधार नहीं हो सकता है। एक इकाई जो बोली प्रक्रिया से दूर रहती है और बोली के स्पष्ट नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहती है।

निविदा दस्तावेज न्यूनतम बोली से मेल खाने या आरओएफआर का प्रयोग करने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। केवल एक उत्तरदायी बोलीदाता ही ऐसा कर सकता है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि अपीलार्थी के अधीन एक निगमित निकाय है

1988 एक्ट करें। इसे परियोजना के शेष और अधूरे काम के बावजूद अनुबंध के आवंटन के मामले में न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कार्य करना होगा। नहीं।

आर. ओ. एफ. आर. का प्रयोग करने या बोली प्रक्रिया में भाग लिए बिना सबसे कम बोली का मिलान करने के लिए 23 जुलाई, 2016 के मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी को स्पष्ट छूट दी गई है। उत्तरदाता

बोली प्रक्रिया में भाग लेने का विकल्प था जिसका उत्तरदाता को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से लाभ नहीं उठाया गया था। उच्च न्यायालय ने भी

इस तथ्य की अनदेखी की गई कि निविदा प्रक्रिया एक खाली औपचारिकता नहीं थी और उसी की शुरुआत के साथ, तीसरे पक्ष, जिन्होंने बोली प्रक्रिया में भाग लिया था, निविदा में उस ओर से स्पष्ट शर्त के बावजूद बोली प्रक्रिया में भाग लिए बिना, प्रतिवादी को सबसे कम बोली का मिलान करने या आरओएफआर का प्रयोग करने की अनुमति देकर पूर्वाग्रहित होने की संभावना थी।

दस्तावेज़। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि उच्च न्यायालय ने वही त्रुटि की है जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने भारतीय कानून की मौलिक नीति के अनुरूप प्रतिवादी को राहत देने या न देने के लिए मुख्य मुद्दों की जांच नहीं करने में की थी। 22. प्रत्यर्थी का तर्क कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित 23 जुलाई, 2016 का आदेश पक्षों की सहमति पर आधारित था

और अपीलार्थी द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी, मामले को किसी भी [2018] 9 एस. सी. आर. में नहीं लेती है।

आगे। एक ओर प्रत्यर्थी का तर्क है कि उक्त आदेश पक्षों की सहमति पर आधारित था और उसी सांस में यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा निर्धारित एकतरफा शर्तों के लिए सहमति व्यक्त की, जिसे अपीलार्थी को उसके अनुरोध के अनुसार फिर से दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो भी हो, 23 जुलाई, 2016 के आदेश को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर यह देखा जाता है कि यह एक प्रतियोगिता का परिणाम है और किसी रियायत पर आधारित नहीं है। किसी भी मामले में, आदेश में प्रतिवादी को प्रस्तावित बोली प्रक्रिया में भाग लेने से छूट देने के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी ने पहले ही विषय परियोजना में पर्याप्त राशि का निवेश कर लिया है और

पूरा किया गया महत्वपूर्ण कार्य बुनियादी बातों को नजरअंदाज करने का कोई आधार नहीं हो सकता है।

निविदा प्रक्रिया के विषय में भारतीय कानून की नीति और संबंधित पक्षों के अधिकार और दायित्व। हम प्रत्यर्थी के इस तर्क से भी प्रभावित नहीं हैं कि प्रत्यर्थी से अपनी बोली का मिलान करने से इनकार करने की उम्मीद नहीं थी या कि अगर उसने बोली प्रक्रिया में भाग लिया होता और आरओएफआर का प्रयोग किया होता, तो इसके परिणामस्वरूप काली सूची में डाल दिया जाता और बोली सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जाता। यह तथ्य कि प्रत्यर्थी आरओएफआर का प्रयोग करेगा, इसका मतलब होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा दी गई बोली एल-1 नहीं थी। यदि यह एल-1 नहीं था, तो आर. ओ. एफ. आर. का उपयोग करने से स्पष्ट रूप से न तो बोली प्रतिभूति को जब्त किया जाएगा और न ही काली सूची के परिणाम पर असर पड़ेगा। यह याचिका स्पष्ट रूप से बोली प्रक्रिया में भाग लेने में विफलता को सही ठहराने के लिए हताशा और विलंबित तर्क है।

23. अपीलार्थी ने वी. एच. सी. पी. एल. ए. डी. सी. सी. पिंगलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के कथन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। लिमिटेड, (ऊपर)। उस मामले में,

अदालत ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या याचिकाकर्ता को पूर्व-योग्यता या बोली प्रक्रिया में भाग लिए बिना सबसे कम बोली का मिलान करने का तरजीही अधिकार था। उस मामले में, रियायत का अनुच्छेद 14.1 (सी)

समझौते में यह निर्धारित किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 परियोजना की क्षमता वृद्धि के लिए पात्र व्यक्तियों से प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता है जो

याचिकाकर्ता को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का विकल्प देना आवश्यक था। न्यायालय ने प्रासंगिक पहलुओं पर उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए कहा कि यदि रियायत प्राप्तकर्ता ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने का विकल्प चुना है, तो उसे पसंदीदा प्रस्ताव का मिलान करने का अधिकार नहीं है जैसा कि मामले में होगा।

निविदा में व्यक्त शर्त को ध्यान में रखते हुए, यहाँ प्रतिवादी

बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रत्यर्थी की आवश्यकता वाले दस्तावेज। अपीलार्थी ने मेसर्स में निर्णय पर भी भरोसा रखा है। राज वेस्ट पावर लिमिटेड, (ऊपर)। हम प्रत्यर्थी से सहमत हैं कि यह निर्णय किसी भी सिद्धांत को निर्धारित नहीं करता है जिसका मामले पर कोई प्रभाव पड़ सकता है।

भारत का राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण v. ग्वालियर झाँसी एक्सप्रेसवे लिमिटेड [ए. एम. खानविलकर, जे.]

24. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है

कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय भारतीय कानून की मौलिक नीति के खिलाफ है और ऐसा नहीं हो सकता है

मुखरता से।

25. तदनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित

24 मई, 2017 के साथ-साथ उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 21 अगस्त, 2017 का आदेश भी रद्द किए जाने और खारिज किए जाने के योग्य है और परिणामस्वरूप, प्रतिवादी द्वारा 25 अप्रैल, 2017 के अधिनियम की धारा 17 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।

26. बिना किसी आदेश के उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है -

लागतें।

अपील की अनुमति दी गई

दिव्या पांडे